

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 358 वाहनों से 444,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 358 वाहनों से 444,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 08 वर्ष का साधारण कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कनविक्शन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.06.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 27.04.2018 को थाना महुली पर अभियुक्त नाम पता सुनील कुमार पुत्र भोला प्रसाद निवासी घोरहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री नसीबुद्दीन द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

थाना खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 778/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01. राजेश पुत्र रामप्रसाद 02. रामप्रसाद चौहान पुत्र रामबहाल चौहान 03. पन्ना देवी पत्नी राम प्रसाद निवासीगण बरईपार थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, तथा प्रत्येक अभियुक्तगण राजेश , रामप्रसाद चौहान,पन्ना देवी को धारा 498ए भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास व 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने 02-02 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष के कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02-02 साल का कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

NBW/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस को सफलता, कुल 15 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर *श्री मुथा अशोक जैन* के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के मार्गदर्शन में एनबीडब्ल्यू (NBW) एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस ने प्रभावी कार्यवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 15 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसका विवरण थानावार निम्नवत है-

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 06 वारण्टीगण नाम पता विवरण

- लालचन्द्र पुत्र श्री पटाने निवासी रुई हट्टा थाना मेंहदावल जनपद संकबीरनगर।
- धर्मेन्द्र पुत्र श्री बेचू निवासी गौशला पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संकबीरनगर।
- बेचू पुत्र श्री हरिद्वार निवासी गौशला पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संकबीरनगर।
- सत्यान उर्फ सत्यवान पुत्र श्री राकेश निवासी भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संकबीरनगर।
- रामराज पुत्र श्री सोमई निवासी बनकटा थाना मेंहदावल जनपद संकबीरनगर।
- पुनीराम पुत्र श्री सोमई निवासी बनकटा थाना मेंहदावल जनपद संकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री जयनाथ यादव, उ0नि0 श्री योगेश राय, उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, हे0का0 मुरली मनोहर, का0 अमेरिका प्रसाद, का0 लालजी गौड़, का0 वीरेन्द्र रावत, का0 सोनू कुमार, रि0का0 अंकित रजक।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 04 वारण्टीगण नाम पता विवरण

- इन्देश कुमार पुत्र श्री नन्द लाल निवासी सुम्हा थाना दुधारा जनपद संकबीरनगर।
- पंकज कुमार पुत्र श्री सन्तराम निवासी कट्या थाना दुधारा जनपद संकबीरनगर।
- शैलेश कुमार पुत्र श्री राम किशुन निवासी सुम्हा थाना दुधारा जनपद संकबीरनगर।
- धीरज कुमार पुत्र श्री संतराम निवासी कट्या थाना दुधारा जनपद संकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- श्री उ0नि0 सतीश कुमार तिवारी, हे0का0 जयचन्द्र कनौजिया, राजेन्द्र सिंह, का0 अरविन्द गौड़, का0 सोनू कुमार यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टीगण नाम पता विवरण

अब्बास अली पुत्र श्री वुलाल अमीन निवासी बजही राजेडीहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

डेबर पुत्र श्री राजेन्द्र निवासी भानपुरमाफी थाना बखिरा जनपद संकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री संतोष सिंह, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 राजीव वर्मा, का0 महेन्द्र शर्मा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता विवरण

- गब्बू लाल निषाद पुत्र शिवनाथ निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार, का0 कमलेश यादव, का0 सूर्य प्रकाश।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता विवरण

- विरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री रामदुलारे तिवारी निवासी करी थाना महुली जनपद संकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 विनोद मौर्या।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता विवरण

- मोनू पुत्र श्री रमेश निवासी नगर पंचायत बेलहरकला भीतरी टोला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दुबे, हे0का0 विजय सिंह, का0 प्रवीण तिवारी, का0 संतोष चौहान।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 08 वर्ष का साधारण कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कनक्वशन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.07.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 28.09.2017 को थाना दुधारा पर अभियुक्त नाम पता रिन्कु चौहान पुत्र स्व0 वुद्धिराम चौहान निवासी मीरापुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के पुत्री का दहेज हत्या करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री रमेश कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1556/2017 धारा 498 ए/304 बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता रिन्कु चौहान पुत्र स्व0 वुद्धिराम चौहान को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है, धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने 02 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304 बी भादवि में 08 वर्ष के कारावास तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कनक्वशन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 14.07.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा उ0नि0 पी0के0 झाँ थाना बखिरा द्वारा अभियुक्त माकिर पुत्र हकीकुल्ल@मूसा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 100kg गौ मास व 01 अदद चमड़ा बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 गुलाम मोहम्मद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 85/2006 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त माकिर पुत्र हकीकुल्ल@मूसा उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

